FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

....

किस्म मुकदमा.................................... नं.................................. सन्...................

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/8/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 12/9/25 को पेश हो।	
12/9/25	पत्रावली पेश। बहुस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 25/9/25 को पेश हो।	
25/9/25	पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया की भूमि ख०स० 25/260 मेरी खातेदारी में अंकित है। प्रार्थी के वृद्ध होने व प्रार्थी के बेरे बाहर मजदूरी करने का अनुचित फायदा उठाकर अप्रार्थीगण, प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। जिन्हे दौराने वाद उक्त कृत्य नहीं करने से पाबन्द किया जावे। खण्डन मे वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की प्रार्थी की भूमि पर हमने कभी कब्जा करने का प्रयास नहीं किया है। प्रार्थी की भूमि बांध के डूब में स्थित है, जो डूब जाती है। प्रार्थी हमारी भूमियो पर इस प्रकरण की आड मे कब्जा करना चाहता है।	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

P.T.O.→

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रा०पत्र खारीज किया जावें। हमने बहस वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि खाता नं० 27 ख०नं० 25/260 ग्राम गुरजनिया प०म० ओवण प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय हेतु निर्धारित 3 बिन्दुओं पर न्यायालय विवेचन निम्न प्रकार है:-	
1.	प्रथम दृष्ट्या मामला :- विवादित भूमि ख०नं० 25/260 ग्राम गुरजनिया प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड होने से व अन्य किसी के द्वारा उस पर दखलंदाजी करने से उनको रोकने का अधिकार खातेदार के पास सुरक्षित होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष मे बन रहा है।	
2.	सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे अंकित होने व उस पर प्रार्थी काबिज काश्त होने से, व प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष मे होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक मे बन रहा है।	
3.	अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- प्रार्थी की खातेदारी मे अंकित भूमि पर उसके कब्जे काश्त मे अप्रार्थीगण द्वारा दखलंदाजी करने व कब्जा करने पर आमदा होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की सम्भावना बनी हुई है। उपरोक्त बिन्दुवार विवेचन से तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे होने से प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी की	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुए
	खातेदारी भूमि खाता नं. 27 के ख० नं० 25/260 रकबा 0.4856 हैक्टेयर वाके ग्राम गुरजनिया प० स० ओवण के किसी भी भू-भाग जबरन कब्जा नहीं करें व प्रार्थी के कब्जे काश्त मे दख्लन्दाजी नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	